[Shri Priya Gupta]

men to rob—rape them, so to say—the railwaymen of their rights and privileges of a trade union which have been conferred on them by the Britishers in the year 1926 onwards. I quoted to the Home Minister the circular of 1st January, 1964, wherein I have pointed out that along with the implementation of the Whitley Council recommendations, there were three conditions one is, a recognised union shall have to seek a fresh recognition by accepting the new terms of reference. The other purpose was to cripple the railwaymen; to see that their railwaymen are deprived of their rights, to abjure the right to strike by virtue of the agreement and also to lose the outsider to represent their case. Unfortunately, this Government borrows a thing from another country in a half-hearted way. In the Whitley Council structure in Great Britain, outsiders are also represented in the negotiating machinery. So, this Government borrows a thing half-heartedly and implement it quarter-heartedly—a thing that they borrow from England and other countries.

Then I come to the question of bonus.

Mr. Chairman: The hon. Member has taken 10 minutes today. He will be given 15 more minutes tomorrow. Shri Shree Narayan Das.

16.59 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

FORTY-FOURTH REPORT

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga): Sir, I beg to present the Forty-fourth Report of the Business Advisory Committee.

---

17 hrs.

PROCUREMENT LEVY SCHEMES OF STATES*

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : सभापति महोदय, विभिन्न राज्यों की अनाज वसूली की जो योजनाएं हैं उनका तौलनिक अध्ययन कर के कुछ ठोस निष्कर्ष निकालने के हेतु मैं यह चर्चा उठाना चाहता हूं। मैंने जो प्रश्न पूछा था अनाज वसूली के बारे में उस के जवाब में खाद्य मंत्री जी ने संक्षेप में बताया है कि विभिन्न राज्यों में अनाज वसूली करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं। लेकिन उन्होंने अपने उत्तर में यह नहीं बतलाया कि यह योजनाएं कहां तक सफल हुई हैं ? कौन सी योजना ज्यादा मुफीद है, फायदेमंद है, इस के बारे में तौलनिक विवेचन इनके उत्तर में नहीं है। इसलिए अनाज वसूली के सम्बन्ध में कुछ बातें उनके सामने मैं रखना चाहता हूं।

सब से पहले यह बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अनाज वसूली की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं से सब से ज्यादा अगर नुकसान किसी का होता है तो वह छोटे काश्तकारों का, छोटे किसानों का होता है। असल में हमारे देश में, विभिन्न राज्यों में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है लेकिन 9 और 10 प्रतिशत के बीच ही ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास बेचने लायक अनाज रह जाता है जिसको कि "मार्केटेबल सरप्लस" कहा जाता है। इस हालत में किसी भी अनाज वसूली की योजना का सब से बड़ा मकसद यह होना चाहिए कि जिन बड़े काश्तकारों के पास यह अतिरिक्त अनाज है, "मार्केटेबल सरप्लस" है वह सरकार के हाथ में किस ढंग से आये लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकारों की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं में इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया है कि जो बड़े काश्तकारों के

*Half-An-Hour Discussion.